



हेमचन्द्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

पात्रता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन-पत्र

प्रति,

कुलसचिव,
हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

महोदय,

मैं हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग द्वारा आयोजित कक्षा.....की मुख्य/सेमेस्टर सत्रमें नियमित/स्वाध्यायी छात्र/छात्रा के रूप में सम्मिलित होना चाहता/चाहती हूँ। मेरी शैक्षणिक अर्हताएं निम्नानुसार हैं :-

उत्तीर्ण परीक्षा	वर्ष	विषय/संकाय	प्राप्तांक/पूर्णांक	बोर्ड/वि.वि
10वीं (मैट्रिक)				
12वीं (इंटरमीडिएट)				
स्नातक				
स्नातकोत्तर				

आवश्यक दस्तावेज संलग्न हैं :-

1. पूर्व उत्तीर्ण सभी परीक्षाओं की अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
2. प्रवजन (माईग्रेसन) प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
3. प्रवेश फीस रसीद की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
4. गैप सर्टिफिकेट की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

उद्ध में छूट वाले छात्र/छात्रा निम्न आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।

5. छ.ग. का जाति प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति (केवल एस.टी. /एस.सी. /ओ.बी.सी.अभ्यर्थी)
6. छ.ग.मूल निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

आपसे अनुरोध है, किमुझे उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश/परीक्षा पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक

नाम

पिता/पति का नाम

पत्र व्यवहारका पता.....

मो.न.

घोषणा-पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी एवं प्रमाण-पत्र पूर्णतः सही हैं। उपरोक्त जानकारी किसी भी समय असत्य पाये जानेपर मेरी पात्रता प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय द्वारा स्वतः निरस्त कर दिया जावेगा। भा.द.वि. के अनुसार कार्यवाही की जाती है, प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है, तो मुझे कोई आपत्ती नहीं होगी।

इस विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय में प्रवेश लेने/परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उपर्युक्त सप्रमाण संलग्न है।

आवेदक के हस्ताक्षर

निर्देश:-

1. नियमित छात्रों के लिये निर्धारित शुल्क छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि तक रूपये 250/- उक्त निर्धारित तिथि के बाद विलंब शुल्क के साथ 500/- देना होगा।
2. अमहाविद्यालयीन छात्रों के लिए 31 दिसम्बर या परीक्षा आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि जो भी पहले हो, तक 250/- उसके बाद विलंब शुल्क के साथ रूपये 500/- देय होगा, विदेशी छात्र-छात्राओं के लिए 250/- तथा विलंब शुल्क 1000/- मात्र लगेगा। जमा किया गया शुल्क वापस नहीं होगा।

कार्यालयीन उपयोग के लिए

आवेदन की अर्हताएँ परीक्षाओं का परीक्षण कर लिया गया है। संलग्न दस्तावेजों के आधार पर आवेदक को परीक्षा में होने की पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।

कार्यसहायक

सहा. कुलसचिव (अका.)